

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान बलवीर कौर आदि बनाम कमलजीत सिंह आदि
 प्रकरण संख्या 66 / 2023 अन्तर्गत धारा 212 RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं जो इस अ पालना में
25/2/25	अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब प्रार्थना पत्र हेतु सप्रप चाहा। 72 की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वास्तु जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 04/03/25 को पेश हो।	
4/3/25	अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA पेश नहीं करने पर बंद किया जाता है। बहस खूनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA मली-भाति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी निवेधाना दिनांक 21/06/2023 मूलवाद के निर्णय तक स्थायी की जाती है। पत्रावली निर्णय होकर नम्बर से कम होकर बाकिल मूलवाद के साथ संलग्न हो।	



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 श्री करणपुर